उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-59/2016/1763/92-2-16-04आ0/94टी0सी0
लखनऊ:: दिनांक:: 03 अक्टूबर,2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही के कार्यकाल के दौरान रू0 72,72,400.00 का कैश सेल्फ चेक से आहरित करने तथा आहरित कैश में से रू0 34,90,624.00 का अत्याधिक आहरण/गबन करने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के पत्र दिनांक 26-05-1999 द्वारा श्री राधेश्याम पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु श्री आर0पी0 बिरला, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल -वाराणसी को जॉच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में श्री राधेश्याम पाण्डेय, अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.2011 को सेवानिवृत्त हो गये। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.07.2016 द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्व संस्थित उक्त अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया।

2- श्री राधेश्याम पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच अधिकारी के पत्र दिनांक 11.01.2001 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कतिपय आरोप स्थापित पाये गये। अतएव जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में सिद्व पाये गये आरोपो के संबंध में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.07.2002 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 26.12.2002 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन का परीक्षण किये जाने के पश्चात अनन्तिम विनिश्चित दण्ड के प्रस्ताव पर शासन के पत्र दिनांक 13.02.2004 द्वारा लोक सेवा आयोग का परामर्श मांगा गया। उक्त के क्रम में लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 15.04.2004 द्वारा यह संवीक्षा की गयी कि अपचारी अधिकारी को पर्याप्त अवसर देते हुये तथा जॉच अधिकारी को सभी वाछित अभिलेख उपलब्ध कराते हुये पुन: जॉच करायी जाय और उसके आलोक में शासन पुन: दण्ड के विनिश्चिय का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत करें।

3- लोक सेवा आयोग के उक्त परामर्श के दृष्टिगत शासन के पत्र दिनांक 31.05.2004 द्वारा जॉच अधिकारी को तदनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी मध्य जॉच अधिकारी, श्री आर0 पी0 बिरला, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी की सेवानिवृत्त के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.09.2011 द्वारा श्री बिरला के स्थान पर अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी के पत्रांक-3630 दिनांक 24.12.2011 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री राधे श्याम पाण्डेय को अपना बचाव उत्तर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। श्री राधेश्याम पाण्डेय द्वारा अपना बचाव उत्तर प्रेषित न किये जाने की स्थिति में जॉच

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी के पत्रांक-1164/ दिनांक 21.08.2012 द्वारा उनके घर के पते पर पत्र प्रेषित करते हुये बचाव उत्तर मॉगा गया। बचाव उत्तर प्राप्त न होने पर पुनः जॉच अधिकारी के पत्रांक-2070 दिनांक 03.01.2013 एवं अंतिम अनुस्मारक पत्र संख्या-1902/दिनांक 23.11.2013 द्वारा बचाव उत्तर उपलब्ध कराने हेतु अनुस्मारित कराया गया, किन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा जॉच अधिकारी को अपना बचाव उत्तर उपलब्ध नही कराया गया। उक्त स्थिति में जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी ने अपचारी अधिकारी, श्री पाण्डेय द्वारा शासन को प्रेषित अभ्यावेदन के आधार पर जॉच आख्या तैयार कर अपने पत्र दिनांक 22.01.2014 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी।

4- अपचारी अधिकारी, श्री राधेश्याम पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही (संतरविदास नगर) के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी के पत्र दिनांक 22-01-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या तथा अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन दिनांक 26-12-2002 व संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया कि श्री राधेश्याम पाण्डेय द्वारा उक्त प्रखण्ड से जो रू0 72,72,400.00 का कैश सेल्फ चेक से आहरित किया गया है, उक्त धनराशि में से संबंधित सहायक अभियंता, अवर अभियंता एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिको को रू0 37,81,776.00 की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है तथा शेष रू0 34,90,624.00 का अत्याधिक आहरण/गबन किया गया है। अतएव शासन द्वारा विनिश्चित अनन्तिम दण्ड के प्रस्ताव पर पत्र दिनांक 14.07.2016 द्वारा लोक सेवा आयोग की सहमति मांगी गयी।

5- लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 09-09-2016 द्वारा अपचारी अधिकारी के विरूद्व प्रस्तावित दण्ड पर आयोग ने अपनी सहमति निम्नवत प्रदान की गयी है :-

" श्री राधेश्याम पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही(संतरविदास नगर) से अत्याधिक आहरित/गबन की गयी धनराशि रू0 34,90,624.00 (रू0 चौतीस लाख नब्बे हजार छः सौ चौबीस मात्र) की वसूली अपचारी अधिकारी के सेवानैवृत्तिक देयकों यथा- पेंशन, ग्रेच्युटी से किये जाने और यदि यह धनराशि उनके सेवानैवृत्तिक देयकों से वसूल किया जाना संभव न हो तो सक्षम न्यायालय के माध्यम से सिविल लायवेल्टी के रूप में अवशेष शासकीय क्षति की वसूली की जाय।"

6- अतएव शासन के पत्र दिनांक 26-05-1999 द्वारा श्री राधेश्याम पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही (संतरविदास नगर) के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही, जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08-07-2016 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया है, में उन्हें निम्नवत दण्ड देते हुये अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है :-

" ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही (संतरविदास नगर) से अत्याधिक आहरित/गबन की गयी धनराशि रू0 34,90,624.00 की वसूली श्री राधेश्याम पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही (संतरविदास नगर) के सेवानैवृत्तिक देयकों यथा- पेंशन, ग्रेच्युटी से की जाय, यदि यह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि उनके सेवानैवृत्तिक देयकों से वसूल किया जाना संभव न हो तो सक्षम न्यायालय के माध्यम से सिविल लायवेल्टी के रूप में अवशेष शासकीय क्षति की वसूली की जाय।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-59/2016/1763(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री राधेश्याम पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही (संतरविदास नगर) सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

4- लोक सेवा आयोगा, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र सं0-62/6एडीसी/एस-12/2003-04 दिनांक 09-09-2016 के संदर्भ में।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।